न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(पूर्ण पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–59/2013–14

श्री जोगेन्द्र नाथ पुरी —बनाम— राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून

उपस्थितः 1.श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

2.श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

3.श्री धीराज गर्ब्याल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक) राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री विनोद डिमरी, जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत

मौजा रांगड़वाला, परगना केन्द्रीय दून, तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–86/2013–14 श्री जोगेन्द्र नाथ पुरी बनाम उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुनर्विलोकनकर्ता प्रार्थी श्री जोगेन्द्र नाथ पुरी ने वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में शुद्वि एवं अवैध इन्द्राजों को निरस्त करने हेतु धारा–28/3/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, देहरादून से प्रार्थना की गई और उप जिलाधिकारी, देहरादून से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने कतिपय शर्तों के साथ राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राज को शुद्वि हेतु आदेश दिनांक 06–12–2014 पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत की जिसे विद्वान सदस्य(न्यायिक), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 से स्वीकार कर प्रकरण विद्वान कलेक्टर, देहरादून का निर्णयादेश दिनांक 06–02–2014 खण्डित करते हुए इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया गया कि वे वाद में आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाते हुए इस सम्बन्ध में विधिसम्मत आदेश पारित करें।

पुनर्विलोकनकर्ता प्रार्थी ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता न्यायालय ने निगरानी में सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और कलेक्टर का आदेश दिनांक 06–02–2014 खण्डित कर दिया परन्तु इसमें आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाकर पुनः प्रकरण को निस्तारण हेतु कलेक्टर को प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व अभिलेखों में खसरे में आज्ञप्ति भूमि को बिना किसी आदेश को और बिना किसी आधार के अवैध रूप से खसरों में नॉन जेड0ए0 भूमि दर्शा दी गई थी जबकि प्रश्नगत भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र की भूमि थी। विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय से मंगाई गई आख्या दिनांक

06–02–2014 में भी इसकी पुष्टि हुई परन्तु फिर भी निगरानी न्यायालय ने आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाकर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए जो न्यायोचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 में आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अवर न्यायालय की पत्रावली तथा विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रश्नगत निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 का भली–भाँति अध्ययन किया। विद्वान पूर्व सदस्य(न्यायिक) ने निगरानी संख्या–86/2013–14 जोगेन्द्रनाथ पुरी बनाम उत्तराखण्ड सरकार में विस्तृत विवेचना करते हुए निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 पारित किया है। इस निर्णयादेश में विद्वान जिलाधिकारी के आदेश को खण्डित किया गया है परन्तु आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया जबकि प्रकरण मूलतः केवल राजस्व अभिलेखों में शुद्वि का था जिसे विद्वान कलेक्टर द्वारा भी स्वीकार किया गया परन्तु उन्होंने निर्णयादेश दिनांक 06–02–2014 में कतिपय शर्तें सम्मिलित कर दीं जो न्यायोचित नहीं है। अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटियों का निराकरण एवं शुद्वि करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों को है। विद्वान कलेक्टर ने भी अपने निर्णयादेश से राजस्व अभिलेखों में शुद्वि किए जाने के आदेश पारित किए परन्तु उसमें शर्तें भी सम्मिलित कर दी। विद्वान पूर्व सदस्य(न्यायिक) राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी प्रकरण में लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार किया परन्तु पुनः प्रकरण आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित करते हुए प्रकरण जिलाधिकारी, देहरादून को प्रतिप्रेषित कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। निगरानी में राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि अवर न्यायालय द्वारा शर्तों के साथ दुरस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के उपरान्त हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य एवं विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–86/2013–14 जोगेन्द्रनाथ पुरी बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 में आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाए जाने सम्बन्धी अंश निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–86/2013–14 जोगेन्द्रनाथ पुरी बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–07–2014 में आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी अंश को निरस्त करते हुए, कलक्टर, देहरादून के आक्षेपित आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2014 के अन्तिम प्रस्तर पर लगाई गई शर्तें भी निरस्त की जाती हैं। तहसीलदार, सदर, देहरादून तदनुसार अभिलेखों में त्रुटि को दुरस्त करना सुनिश्चित करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 02.02.16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।